# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

**पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया** {आर.ए.एस.}

**प्रकरण संख्या : 19/2019**

1. राजेन्द्र कौर पत्नि रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच कोटली तहसील श्री करणपुर।

--प्रार्थी--

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--अप्रार्थी--

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए**

**--निर्णय--** **दिनांक :12.02.2020**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थिया के नाम से चक 3 वीं के मुरब्बा न. 36 में 12 बीघा 10 बिस्वा बारानी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इस रकबा में पुराना रास्ता किला न. 12,18,23 में से कुतरी निकलता था। लेकिन अब लगभग पिछले 10 वर्षो से वर्तमान तक उक्त रास्ता किला न. 11,20,21 के पश्चिम की तरफ चालू है और पटवारी रिपोर्ट में उक्त किले ही दर्ज है। और उक्त रास्ता सुचारू रूप स`चल रहा है। जिसमें किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। इस कारण प्रार्थिया उक्त तीनो बीघों में से एक-एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाकर इन्तकाल दर्ज करवाना चाहती है। अगर किला न. 12,18,23 में रास्ता निकलता है तो हमारी जमीन कुतरी होती है जिसमें काश्त करने में दिक्कत आती है। इसलिए हमारी जमीन के किला न. 11,20,21 में पिछले 10 वर्षो से रास्ता दिया हुआ है। अतः आप से अर्ज है कि जो पुराना रास्ता मानचित्र में दर्ज है। उसे निरस्त करके जो मौजूदा रास्ता किला न. 11,20,21 की पश्चिम दिशा में चल रहा है उसे स्वीकृत करके एक-एक बिस्वा इन्तकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। जिसमें प्रार्थिया की सहमति है।

प्रार्थना पत्र आरटीए की धारा 251ए में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्री करणपुर के पत्रांक राजस्व/ 2019/ 1142 दिनांक 17.12.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। चक 3 वीं के मु.न. 36 के किला न. 10, 12, 18, 23 में से एक-एक बिस्वा रास्ता मंजूर किया गया था। जिसका अमलदरामद आदिनांक तक नहीं हुआ है। अतः प्रार्थिया अब उक्त किलों के स्थान पर किला न. 11,20,21 में से दो-दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावें तो प्रार्थिया को कोई आपति नहीं है। प्रार्थी स्वंय अपनी खातेदारी भूमि में से 2-2 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु देने के लिए सहमत है। और अन्य वैकल्पिक साधन का अभाव है।

बहस सुनी गई प्रार्थिया ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया के द्वारा मुरब्बा चक 3वीं के मुरब्बा नम्बर 36 के किला न. 11,20,21 में 2-2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किए जाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार चक 3वीं के मुरब्बा नम्बर 36 के किला न. 11,20,21 में 2-2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है

तो प्रार्थिया को कोई आपति नहीं है। प्रार्थिया उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाने हेतु सहमत है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन एवं तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 3वीं के मुरब्बा नम्बर 36 के किला न. 11,20,21 के पश्चिमी दिशा में 2-2 बिस्वा कुल 6 बिस्वा गैरमुमकिन सरकारी रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जावे। प्रार्थिया यह रास्ता अपनी सहमति से दे रही है। इसलिए इस रास्ता के बदले कोई भूमि या राशि देय नहीं होगी। आदेश इस आश्य का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.02.12 17:03:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: